578
15/7/22

बिहार सरकार

कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी/दण्डाधिकारी, बाढ़ (पटना)

(निर्वाचन शाखा)

दूरभाष सं0–06132242305 (का0) ई–मेल–sdmbarh@gmail.com

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग का पत्रांक–2598/पटना, दिनांक 07.07.2022 एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, (नगरपालिका), पटना का ज्ञापांक–1102/निर्वा0, दिनांक 07.07.2022 के द्वारा नगर पालिका चुनाव 2022 के अवसर पर निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांन्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार किया जाना है ताकि सभी कोटि के मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सके। इस हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र में अधिकतम 1000 (एक हजार) मतदाता सम्बद्ध किये जायेगें। तदनुसार मतदान केन्द्र की स्थापना के संबंध में मतदान केन्द्रों का प्रारूप का प्रकाशन दिनांक 19.07.2022 को करते हुए दिनांक 01.08.2022 तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाना है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नगर परिषद बाढ़, नगर परिषद, मोकामा एवं नगर परिषद् बख्तियारपुर के मतदान केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रारूप प्रकाश के उपरांत आमजन से दावा/आपत्ति अनुमण्डल कार्यालय, निर्वाचन शाखा, बाढ़ में कार्यालय कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जायेगा तथा प्राप्त दावा/आपत्ति का जाँचोपरान्त निष्पादन किया जायेगा। मतदान केन्द्रों की स्थापना से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम निम्नांकित है :–

क्रमांक	कार्य का विवरण	अवधि
1	मतदान केन्द्रों के स्थान का चिन्हितीकरण एवं मतदान केन्द्रों के साथ मतदाताओं की संख्या की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टी	09.07.2022 से 18.07.2022 तक
2	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रारूप का प्रकाशन	19.07.2022
3	दावा–आपत्ति प्राप्ति की अवधि	19.07.2022 से 01.08.2022 तक
4	प्रकाशन अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन	25.07.2022 से 06.08.2022 तक
5	प्रपत्र–A में अंकित मतदान केन्द्रों से मतदाताओं का संबंधन कर सॉफ्टवेयर में इसकी प्रविष्टी करना	07.08.2022 से 10.08.2022 तक
6	आयोग के वेबसाईट पर मतदान केन्द्रों के साथ मतदाता सूची की अन्तिम प्रकाशित सूची को अपलोड करना	11.08.2022 से 14.08.2022 तक
7	प्रपत्र–A (मतदान केन्द्र की अंतिम सूची) पर आयोग का अनुमोदन	16.08.2022 से 25.08.2022 तक
8	मतदान केन्द्र के अनुमोदित सूची का अन्तिम प्रकाशन	29.08.2022 तक
9	मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची का मुद्रण	31.08.2022 तक

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोकामा नगर परिषद् मोकामा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाढ़, नगर परिषद बाढ़ एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर, नगर परिषद बख्तियारपुर क्षेत्र के लिए अधोहस्ताक्षरी के मार्गदर्शन में वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगें।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह0/–
निबंधन पदाधिकारी,
– सह –
अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़।

ज्ञापांक– 1411 /निर्वा0, दिनांक 08/07/2022

प्रतिलिपि – कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा, बाढ़ एवं बख्तियारपुर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोकामा, बाढ़ एवं बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

निबंधन पदाधिकारी,
– सह –
अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़।

D:\SDM BARH\ELECTION 2022 [K. ALAM]

[…]ा निर्वाचन कार्यालय
[…] न० 0612–2952540
[…]-mail-dyeo_patna@yahoo.co.in

पटना समाहरणालय, पटना
(जिला निर्वाचन शाखा)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
फोन न० 0612–2219097(आ०)
0612–2219545(का०)
फैक्स न०–0612–2218900
E-mail- dm-patna.bih@nic.in

पत्रांकः–1105 / निर्वा०,

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह– जिला पदाधिकारी, पटना।

निर्वाचन उच्च प्राथमिकता

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी (नगरपालिका)
– सह – अनुमंडल पदाधिकारी,
पटना सदर, दानापुर, पटना सिटी,
बाढ़, मसौढ़ी एवं पालीगंज, पटना।

पटना, दिनांक 07.07.2022

विषयः– नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 – मतदान केन्द्र की स्थापना के संबंध में।

प्रसंग :– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक–2598 दिनांक– 07.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 का निर्वाचन निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक है कि मतदान केन्द्रों की स्थापना आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार हो, ताकि सभी कोटि के मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सकें। बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 सहपठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 53(1) में निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मतदान केन्द्रों की स्थापना हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है, जो निम्नवत है:–

मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं मतदाताओं की सम्बद्धता संबंधी कार्यक्रम।

क्रमांक	कार्य का विवरण	अवधि (दिनांक)
1.	मतदान केन्द्रों के स्थान का चिह्नितिकरण एवं मतदान केन्द्रों के साथ मतदाताओं की संख्या की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि।	09.07.2022 से 18.07.2022 तक
2.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रारूप का प्रकाशन।	19.07.2022
3.	दावा–आपत्ति प्राप्ति की अवधि।	19.07.2022 से 01.08.2022 तक
4.	प्रकाशन अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन।	25.07.2022 से 06.08.2022 तक
5.	प्रपत्र–A में अंकित मतदान केन्द्रों से मतदाताओं का संबंधन कर सॉफ्टवेयर में इसकी प्रविष्टि करना।	07.08.2022 से 10.08.2022 तक
6.	आयोग के वेबसाईट पर मतदान केन्द्रों के साथ मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशित सूची को अपलोड कराना।	11.08.2022 से 14.08.2022 तक
7.	प्रपत्र–A (मतदान केन्द्र की अंतिम सूची) पर आयोग का अनुमोदन।	16.08.2022 से 25.08.2022 तक
8.	मतदान केन्द्र के अनुमोदित सूची का अन्तिम प्रकाशन।	29.08.2022 तक
9.	मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची का मुद्रण।	31.08.2022 तक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 2598 दिनांक–07.07.2022 के आलोक प्रपत्र–A में मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करने में सावधानी बरती जानी है। इस आशय का उल्लेख कंडिका–6 (ii) में किया गया है।

उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र–A में बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 सहपठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 53(1) में निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना के प्रावधान के अनुरूप मतदान केन्द्रों का पहचान एवं मतदान केन्द्रों के साथ मतदाताओं की सम्बद्धता सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्टि किये जाने का कार्य **दिनांक 09.07.2022 से 18.07.2022 तक किया जाना है। इस हेतु यह आवश्यक है कि दिनांक–13.07.2022 तक विहित प्रपत्र में मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित, Excel sheet, Font- Devlys 010, Size-14, Landscape -A4)** में जिला निर्वाचन कार्यालय, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अनु०– यथोपरि।

विश्वासभाजन

07/07/22

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, पटना।